

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-2

संख्या- /ix/2016/246/2016

देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 57 के उप नियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	प्राधिकरण का नाम	नामित व्यक्ति का नाम एवं पता	पद
1-	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोडा।	1- श्री दयाकृष्ण भट्ट (दामोदर भट्ट) स्थान व पो०-थल, जिला पिथौरागढ़। 2- श्री दिनेश सिंह पिलखाल, ग्राम-जाखसौडा, पो० कपडखान, जिला अल्मोडा।	गैर सरकारी सदस्य
2-	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल।	1- श्री अद्वैत बहुगुणा, स्थान व पोस्ट माल रोड, पौड़ी गढ़वाल। 2- श्री अब्बल सिंह कठायत, ग्राम-जाखणी, पो० सेराघाट, जिला-चमोली।	गैर सरकारी सदस्य
3-	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।	1- श्री मुकेश माहरा, बमोरी, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल। 2- श्री बिरेन्द्र सिंह भण्डारी, ग्राम-खेती बेलगाँव, पो०- बेतालघाट, जिला-नैनीताल।	गैर सरकारी सदस्य
4-	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।	1- श्री अभिषेक भण्डारी, नवीन सचिवालय कॉलोनी, म०न०-24, फेज-2, केदारपुरम, जिला-देहरादून। 2- श्री राजवीर सैनी, साहपुर, जिला-हरिद्वार।	गैर सरकारी सदस्य

(सी०एस० नपलच्याल)

सचिव।

संख्या-1174(U)/IX/2016/246/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमाऊँ/ गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 5- सम्बन्धित महानुभाव।
- 6- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 7- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद-हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन, को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें
- 8- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।